



CIN: L65190MH2004GO1148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355
(+91 22) 6655 3405, 3410, 3404
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbibank.in

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355
(+91 22) 6655 3405, 3410, 3404
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbibank.in

October 20, 2023

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051
---	---

Dear Sir/Madam,

Notice of Postal Ballot

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Postal Ballot Notice dated October 16, 2023 together with the explanatory statement being issued to the Members of the Bank for approval of the Special business mentioned in the Notice by means of electronic voting (remote e-voting) in compliance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) and the Securities & Exchange Board of India (“SEBI”) in this regard.

The Postal Ballot Notice is being sent to all the members whose names appear in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories viz. National Securities Depository Limited (“NSDL”) and Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”) and Kfin Technologies Limited (“Kfintech”) and who have registered their email addresses with NSDL, CDSL and/or Kfintech as on October 13, 2023 (the cut-off date).

The remote e-voting on the resolutions set out in the Postal Ballot Notice shall commence on Saturday, October 21, 2023 at 9:00 AM IST and end on Sunday, November 19, 2023 at 5.00 PM IST. The result of the Postal Ballot shall be declared within two working days from conclusion of the remote voting i.e on or before November 21, 2023.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

Yours faithfully,
For IDBI Bank Ltd.

Company Secretary

Enclosed as above



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005
फोन-(022) 66553336 / 3147

ईमेल - idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट-www.idbibank.in

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य (सदस्यों),

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2023 को जारी सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 व छुट्टों से संबंधित जारी पिछले परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, साथ ही सेबी (सूचीबद्धता) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा महा सभाओं पर जारी किए गए सचिवीय मानक ("एसएस-2") तथा कोई अन्य लागू कानून, नियमों और विनियमों वर्तमान में लागू व समय-समय पर यथा-संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन(नो), आशोधन(नो), भिन्नता(ओ) या पुनर्र्थनियमन सहित, के संबंध में इस सूचना में नीचे दिए गए विशेष कारोबारों का आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान के जरिए अनुमोदन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों की सहमति या असहमति का सम्प्रेषण रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा।

विशेष कारोबार

मद् संख्या 1: बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन: 03359323) की नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150 एवं 152 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के समय-समय पर संशोधित विनियम 16(1)(बी) एवं 17, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के प्रावधानों और बैंक के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(vi) के अनुसार, श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन: 03359323) को जिन्हें दिनांक 28 अगस्त 2023 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और निदेशक मंडल की सिफारिश पर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 124 के संदर्भ में और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत एक नोटिस प्राप्त हुआ जो बैंक के निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी को दर्शाता है, उन्हें बैंक के बोर्ड में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी न होने वाले एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 28 अगस्त 2023 से लगातार 4 (चार) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाना है।

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

ज्योति बीजू नायर
कंपनी सचिव
सदस्यता सं : ए 20554

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 अक्टूबर 2023

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई 400 005



IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005,
Phone-(022) 66553336 / 3147

E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and the previous circulars related to relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) applicable in this regard ("MCA Circulars"), applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force, and as amended from time to time), the special business given below in this notice is proposed for approval of the members of IDBI Bank Ltd. to be transacted through Postal Ballot only by way of voting through electronic means.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, this Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Bank/Depositories. The communication of assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting system.

Special Business

Item No. 1: Appointment of Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN: 03359323) as Independent Director of the Bank

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Sections 149, 150 & 152 read with Schedule IV and any other applicable provision of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and Regulations 16(1)(b) & 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, as amended from time to time, provisions of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN: 03359323), who on recommendation of Nomination & Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors, was appointed as an Additional Director in the capacity of Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. August 28, 2023 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and in respect of whom a notice has been received under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director of the Bank, be and is hereby appointed as an Independent Director on the Board of the Bank and not liable to retire by rotation to hold office for a term of 4 (four) consecutive years w.e.f. August 28, 2023."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Jyothi Biju Nair
Company Secretary
Membership No. : A20554

Place: Mumbai
Date : 16 October , 2023

Registered Office:
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005.

टिप्पणियां :

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट विशेष कारोबार के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।
- एमसीए परिपत्रों के अनुसार बैंक यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज रहा है। तदनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति का संप्रेषण रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगा।
- यह डाक मतपत्र सूचना केवल बैंक के ऐसे सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके नाम नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से शुकवार, 13 अक्टूबर 2023 कट-ऑफ तारीख को प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में हैं। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उन्हें इस डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। डाक मतपत्र सूचना उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, जिन्होंने बैंक/ डिपॉजिटरी/ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत कराए हैं। यह बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिटेक/ आरटीए) की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध होगी।
- कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियम) के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 और संबंधित एमसीए परिपत्रों के अनुसार, इस डाक मतपत्र सूचना में निहित विशेष कारोबारों की मदद को पोस्टल बैलेट - रिमोट ई-वोटिंग द्वारा ही पारित किया जाना है।
- सदस्यों के वोटिंग अधिकार 13 अक्टूबर 2023 की कट-ऑफ तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम (बी. आर. एक्ट), 1949 की धारा 12(2) के अनुसार प्रदान किए गए वोटिंग कैप प्रतिबंधों के अधीन होंगे।
- बैंक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने मतदान करने की इच्छा रखने वाले सदस्यों के लिए केफिटेक की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। ई-वोटिंग सुविधा **शनिवार, 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से शुरू होगी और रविवार, 19 नवंबर 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बंद कर दी जाएगी।** सदस्यों द्वारा संकल्प पर एक बार अपना मतदान किए जाने के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र मतदान संचालित करने के लिए प्रैक्टिसरत कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की सुश्री अपर्णा गाडगिल को और उनकी अनुपस्थिति में श्री विश्वनाथन एस. एन. को संवीक्षक नियुक्त किया है।
- डाक मतपत्र के परिणाम एमडी एवं सीईओ द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2023 को या उससे पहले घोषित कर दिए जाएंगे तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार केफिटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- संकल्प यदि अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है तो इसे 19 नवंबर 2023 को पारित माना जाएगा जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख है।

क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश :

1. वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ हैं

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति होगी। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खाते में मोबाइल नंबर और ईमेल पते अद्यतन करें।

NOTES:

- The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the special businesses specified in the Postal Ballot Notice is annexed hereto.
- In accordance with the MCA Circulars, the Bank is sending this Postal Ballot Notice in electronic form only. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.
- The Postal Ballot Notice is being sent via email only to the Members of the Bank, whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners, as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on Friday, October 13, 2023 the cut-off date. Any person, who is not a Member as on the cut-off date, should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only. The Postal Ballot Notice is sent electronically to all the shareholders who have registered their email addresses with the Bank/Depositories/Registrar and Transfer Agent (RTA). The same will also be available on the Bank's website www.idbibank.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited (Kfintech/RTA) at <https://evoting.kfintech.com>
- In terms of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and the relevant MCA Circulars, the Item of Special Business set out in this Postal Ballot Notice is sought to be passed by Postal Ballot - remote e-voting only.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of October 13, 2023 subject to voting cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949
- The Bank is providing Kfintech's e-voting facility to enable those Members who wish to cast their votes electronically. The e-voting commences on **Saturday, October 21, 2023 at 9:00 AM IST and ends on Sunday, November 19, 2023 at 5.00 PM IST**. Once the vote on the Resolutions is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil and in her absence Mr. S. N. Viswanathan of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by MD & CEO on or before November 21, 2023 and will be displayed on the Bank's website at www.idbibank.in and shall also be displayed on the website of Kfintech at <https://evoting.kfintech.com> in terms of Rules 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.
- The resolutions, if approved by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on November 19, 2023 i.e., the last date specified for remote e-voting.

a) **PROCEDURE AND INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING:**

1. **FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SECURITIES IN DEMAT**

In terms of the SEBI circular dated 9th December, 2020 on e-voting facility provided by listed companies, Individual shareholders holding shares of the Bank in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

डीमैट रूप में बैंक का शेर रखने वाले वैयक्तिक शेर धारकों के लिए लॉगिन पद्धति, जैसा कि डिपॉजिटारियों द्वारा तैयार किया गया है, नीचे दी जा रही है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>1. यूजर जो एनएसडीएल की IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं :</p> <p>i. ब्राउज़र में टाइप करें/ई-सर्विस लिंक पर क्लिक करें: https:// eservices.nsdl.com</p> <p>ii. IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत 'Beneficial Owner' पर क्लिक करें.</p> <p>iii. एक नया पेज खुलेगा. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करें. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद 'Value Added Services' के अंतर्गत 'Access to e-Voting' पर क्लिक करें</p> <p>iv. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles' ऑप्शन पर क्लिक करें.</p> <p>v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफिंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.</p>	<p>1. यूजर जो सीडीएसएल की Easi/Easiest सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं :</p> <p>i. ब्राउज़र में टाइप करें/निम्नलिखित में से किसी भी लिंक पर क्लिक करें : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com</p> <p>ii. New System Myeasi पर क्लिक करें / Quick Login के अंतर्गत My Easi ऑप्शन लॉगिन करें.</p> <p>iii. Easi/Easiest एक्सेस के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करें.</p> <p>iv. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत देने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफिंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.</p>
<p>2. यूजर जो एनएसडीएल की IDeAS ई-सर्विस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं :</p> <p>i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित कोई भी ई-सर्विस लिंक टाइप करें/ किसी भी पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>ii. Register Online for IDeAS' सिलेक्ट करें.</p> <p>iii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें.</p> <p>iv. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.</p>	<p>2. यूजर जो सीडीएसएल की Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं :</p> <p>i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित टाइप करें/ इस लिंक पर क्लिक करें : :https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>ii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें.</p> <p>iii. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.</p>
<p>3. विकल्प के तौर पर, यूजर सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं :</p> <p>i. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इस पर क्लिक करें : https://www.evoting.nsdl.com</p> <p>ii. Shareholder/Member' सेक्शन में उपलब्ध आइकॉन 'Login' पर क्लिक करें.</p> <p>iii. यूजर आईडी (अर्थात IN के साथ शुरू होने वाले एनएसडीएल के पास धारित 16 अंकीय डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार सत्यापन कोड इंटर करें.</p>	<p>3. विकल्प के तौर पर, यूजर सीधे सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं :</p> <p>i. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इन पर क्लिक करें : www.cdslindia.com.</p> <p>ii. E-Voting पर क्लिक करें तथा अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन इंटर करें.</p> <p>iii. सिस्टम डीमैट खाते में उपलब्ध कराए गए अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर को अधिप्रमाणित करेगा.</p>

Login method for Individual shareholders holding shares in demat mode, as devised by the Depositories, is given below:

NSDL	CDSL
<p>1. User already registered for IDeAS facility of NSDL:</p> <p>i. Type in the browser / click on the e-Services link: https:// eservices.nsdl.com</p> <p>ii. Click on the 'Beneficial Owner' icon under 'IDeAS' section.</p> <p>iii. A new page will open. Enter your User ID and Password. Post successful authentication, click on 'Access to e-Voting' under 'Value Added Services'.</p> <p>iv. Click on 'Active E-Voting Cycles' option under e-Voting.</p> <p>v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider (Kfintech) and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.</p>	<p>1. User already registered for Easi/Easiest facility of CDSL:</p> <p>i. Type in the browser / click on any of the following links: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com</p> <p>ii. Click on New System Myeasi / Login to My Easi option under Quick Login.</p> <p>iii. Enter your User ID and Password for accessing Easi / Easiest.</p> <p>iv. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.</p>
<p>2. User not registered for IDeAS e-Services facility of NSDL:</p> <p>i. To register type in the browser /click on, any of the following e-Service link: https://eservices.nsdl.com Or https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>ii. Select 'Register Online for IDeAS'</p> <p>iii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details.</p> <p>iv. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.</p>	<p>2. User not registered for Easi/Easiest facility of CDSL:</p> <p>i. To register type in the browser /click on the following link: https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>ii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details.</p> <p>iii. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.</p>
<p>3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of NSDL:</p> <p>i. Type in the browser /click on the following link: www.evoting.nsdl.com</p> <p>ii. Click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholder/Member' section.</p> <p>iii. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL starting with IN), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p>	<p>3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of CDSL:</p> <p>i. Type in the browser /click on the following link: www.cdslindia.com.</p> <p>ii. Click on E-Voting and enter your DP ID & Client ID and PAN.</p> <p>iii. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.</p> <p>iv. After successful authentication, you will</p>

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल वेबसाइट के ई-वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे.</p> <p>v. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' ऑप्शन पर क्लिक करें. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात् केफिंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते हैं.</p>	<p>iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप सीएसडीएल के ई-वोटिंग मॉड्यूल को इंटर करेंगे.</p> <p>v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात् केफिंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते हैं.</p>

शेयरधारक जो यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव करने में असमर्थ हैं उनको सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध ऑप्शन Forget User ID and Forget Password का उपयोग करें.

<p>एनएसडीएल से संपर्क करने के ब्योरे -शेयरधारकों को किसी तकनीकी समस्या के मामले में:</p> <p>लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य अपना अनुरोध evoting@nsdl.co.in पर भेज कर या टोल फ्री नंबर : 18001020990 या 1800224430 कॉल कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं.</p>	<p>सीडीएसएल से संपर्क करने के ब्योरे -शेयरधारकों को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने के मामले में:</p> <p>लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य अपना अनुरोध सीडीएसएल हेल्पडेस्क को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेज सकते हैं. अथवा 022-23058738 अथवा 022-23058542-43 पर कॉल कर संपर्क करें.</p>
--	--

अपने डीमैट खाते/ डिपॉजिटरी सहभागियों के वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने के लिए वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट रूप में शेयर रखने वाले) हेतु प्रक्रिया

- आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए लॉगिन कर सकते हैं.
- सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग ऑप्शन देख पाएंगे. एक बार e-voting ऑप्शन पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद आप एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आपको ई-वोटिंग फीचर दिखाई पड़ेगा.
- बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

II. गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है:

यदि शेयरधारक आईडीबीआई बैंक/ केफिंटेक ईमेल प्राप्त करता है [उन शेयरधारकों के लिए जिनके ईमेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी सहभागी (यो) के पास पंजीकृत हैं]:

- यूआरएल : [https:// evoting.kfintech.com](https://evoting.kfintech.com) टाइप करते हुए एंटरनेट ब्राउजर लांच करें.
- ईमेल पत्राचार में उल्लेख किए गए अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल (अर्थात् यूजर- आईडी और पासवर्ड) एंटर करें. ई-वोटिंग इवेंट नंबर और आपका फोलियो नंबर या आपका डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी आपका यूजर-आईडी होगा.

यूजर-आईडी : डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए :
 एनएसडीएल के लिए : IN से शुरू 8 कैरेक्टर वाला डीपी आईडी तथा उसके बाद 8 अंकीय क्लाइंट आईडी
 सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

NSDL	CDSL
<p>iv. Post successful authentication, you will be redirected to e-Voting page on NSDL website.</p> <p>v. Click on 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' option under e-Voting. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.</p>	<p>enter e-voting module of CDSL.</p> <p>v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('Kfintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. Kfintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.</p>

Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned websites.

<p>Contact details of NSDL – In case shareholders face any technical issue:</p> <p>Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.</p>	<p>Contact details of CDSL – In case shareholders face any technical issue :</p> <p>Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022- 23058542-43.</p>
---	--

Procedure for Individual Shareholders (holding securities in demat mode) to login through their demat accounts / website of their Depository Participants

- You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility.
- After successful login, you will be able to see e-voting option. Once you click on e-voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL depository site after successful authentication, wherein you can see e-voting feature.
- Click on the Bank's name or e-voting service provider's name and you will be redirected to e-voting service provider's website for casting your vote during the remote e-voting period without any further authentication.

II. FOR NON-INDIVIDUAL SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM

Login method for non-individual shareholders and shareholders holding shares in physical form are given below:

In case a shareholder receives an e-mail from IDBI Bank / Kfintech [for shareholders whose e-mail addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s)]:

- Launch internet browser by typing the URL <https://evoting.kfintech.com>
- Enter the login credentials (i.e., user-id and password) mentioned in the email communication. The e-Voting Event Number and your Folio Number or your DP ID - Client ID will be your User- ID.

User – ID: For shareholders holding shares in Demat form:
 For NSDL: 8 Character DP ID starting with IN followed by 8 Digits Client ID
 For CDSL: 16 digits beneficiary ID

यूजर-आईडी : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए :

ईवेन नंबर तथा उसके बाद आईडीबीआई बैंक / आरटीए के पास पंजीकृत फोलियो नंबर.

पासवर्ड : आपका यूनिक पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक नोटिस के साथ ईमेल द्वारा भेजा जाता है.

कैप्चा : कृपया सत्यापन कोड एंटर करें, अर्थात् सुरक्षा कारणों से अक्षर और संख्याएं ठीक उसी रूप में हो, जैसा कि वे प्रदर्शित की गई हैं.

iii. उपयुक्त रूप से ये ब्योरे एंटर करने के बाद 'LOGIN' पर क्लिक करें.

iv. यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो अब आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंचेंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड चेंज करना होगा. नया पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z) एक न्यूमेरिक वैल्यू (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर (@, #, \$, आदि) होंगे. पहली बार लॉगिन करने पर सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने तथा अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जैसे ब्योरे अपडेट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.

पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में उसे फिर से रिट्रीव करने के लिए आप अपने पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी एंटर कर सकते हैं. यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

v. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करने की जरूरत है.

vi. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद सिस्टम आपको ई-वोटिंग इवेंट नंबर 'EVEN', अर्थात् IDBI Bank चुनने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.

vii. वोटिंग पेज पर आप संकल्प संबंधी विवरण देख पाएंगे और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' ऑप्शन रहेगा. 'FOR / AGAINST' के अंतर्गत यथा कट ऑफ तारीख को शेयरों की संख्या (जो आपके मतदान की संख्या प्रदर्शित करता है) एंटर करें या विकल्प के तौर पर आप 'FOR' के लिए कोई भी आंशिक नंबर और 'AGAINST' के लिए कोई भी आंशिक नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन 'FOR / AGAINST' के लिए कुल संख्या मिल कर कट ऑफ तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' का विकल्प भी चुन सकते हैं. यदि शेयरधारक 'FOR' या 'AGAINST' में से कोई भी नहीं चुनते हैं तो इसे 'ABSTAIN' माना जाएगा और धारित शेयरों को दोनों में से किसी भी हेड के अंतर्गत नहीं माना जाएगा.

viii. एक से अधिक फोलियो/ डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग-अलग वोटिंग प्रक्रिया को चुनेंगे.

ix. इसके बाद आप उपयुक्त ऑप्शन चुन कर अपना वोट दें तथा 'Submit' पर क्लिक करें.

x. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें या आशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मतदान में आशोधन की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान, संकल्प(पों) पर वोट करने के पहले तक शेयरधारक कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं.

कट ऑफ तारीख को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले कोई व्यक्ति और गैर-वैयक्तिक सदस्य evoting@Kfintech.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफ्रिंटेक के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं/ सकती हैं.

अपना मतदान करने के लिए II (i) से (x) में दिए गए अनुदेश का अनुसरण करें.

III. संकल्पों पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों को सामान्य अनुदेश/ जानकारी:

i. कॉर्पोरेट/ संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की सत्यापित स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति einward.ris@Kfintech.com और idbiequity@idbi.co.in को भेजें.

ii. किसी प्रकार की पूछताछ के मामले में कृपया 'Downloads' सेक्शन में डॉपडाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध 'Help' और 'Frequently Asked Questions' (FAQs) सेक्शन/E-voting user manual देखें जो आरटीए की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध है या टोल फ्री

User – ID: For shareholders holding shares in Physical Form:

EVEN number followed by Folio No. registered with IDBI Bank / RTA.

Password: Your unique password is sent via e-mail forwarded through the electronic notice.

Captcha: Please enter the verification code i.e. the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii. After entering these details appropriately, Click on 'LOGIN'.

iv. If you are logging in for the first time, you will now reach password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, \$, etc.). The system will prompt you to change your password and update your contact details like mobile number, email ID, etc. on first login.

You may also enter a secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and that you take utmost care to keep your password confidential.

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the E-Voting Event Number 'EVEN' i.e., IDBI Bank.

vii. On the voting page you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents the number of votes) as on the cut-off date under 'FOR / AGAINST' or alternatively, you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST' but the total number in 'FOR / AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN'. If the shareholder does not indicate either 'FOR' or 'AGAINST' it will be treated as 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

viii. Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folios / demat accounts.

ix. You may then cast your vote by selecting an appropriate option and click on 'Submit'.

x. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution(s).

Any person holding shares in physical form and non-individual members as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@Kfintech.com. However, if he / she is already registered with Kfintech for remote e-voting then he /she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

Follow the instructions at II (i) to (x) to cast your vote.

III. GENERAL INSTRUCTIONS / INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR VOTING ON THE RESOLUTIONS:

i. Corporate/Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/Authority Letter etc., to the Scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to einward.ris@Kfintech.com and idbiequity@idbi.co.in

ii. In case of any queries, please visit 'Help' and 'Frequently Asked Questions' (FAQs) section / E-voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section available at RTA's website <https://evoting.Kfintech.com> or call at toll free no.

नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत को श्री एस. वी. राजू, उप महा प्रबंधक को ईमेल आईडी einward.ris@Kfintech.com या evoting@Kfintech.com को भेज सकते हैं.

iii. डाक मतपत्र की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.
2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप उपर्युक्त टेबल में बताई पद्धति से लॉगिन करें.
3. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2), जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए einward.ris@Kfintech.com पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

1. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों, जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी ईमेल-आईडी(यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतित नहीं किया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.
2. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी/सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं, से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लिखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन और शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खाते में रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.
3. दिनांक 03 नवंबर 2021 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार, सेबी ने आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने की शर्तों को प्रोसेस करने के लिए सामान्य और सरलीकृत शर्तें निर्धारित की हैं. संबंधित प्रपत्रों के साथ उक्त परिपत्रों की प्रतियाँ आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिटेक), अर्थात् बैंक के आरटीए की वेबसाइट www.Kfintech.com पर उपलब्ध है.

तदनुसार, केवाईसी दस्तावेज जमा करना और उपर्युक्त परिपत्र में अधिदेश के अनुसार नामिती विवरण को अद्यतित करना आपके हित में है. फोलियो, जिसमें 31 दिसंबर 2023 के बाद केवाईसी विवरण या नामिती विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होगा, को उक्त परिपत्रों की शर्तों के

1800 309 4001. Any grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. S V Raju, Deputy Vice President, at e-mail id: einward.ris@Kfintech.com or evoting@Kfintech.com.

iii. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained in table above.
3. Alternatively member may send an e-mail request to einward.ris@Kfintech.com for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

1. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.
2. In terms of SEBI Circular No. SEBI / HO / MIRSD / DOP1 / CIR / P / 2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, along with the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS)/RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.
3. In terms of Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, SEBI has laid down common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination. Copies of the said Circulars together with relevant forms are available on the website of IDBI Bank at <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> and that of Kfin Technologies Limited (Kfintech), viz. RTA of the Bank at www.Kfintech.com.

Accordingly, it is in your interest to submit the KYC documents and update nominee details as mandated in the above mentioned circular. Folios wherein any one of the KYC details or nominee details are not available after 31st December, 2023, shall be frozen by Kfintech / IDBI Bank in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by Kfintech / IDBI Bank to the

अनुसार केफिटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज़ कर दिया जाएगा. केफिटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज़ किए गए फोलियो को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन प्रशासन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज़ रहते हैं.

4. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारक/(कों), जिनके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खोलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को भौतिक स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

डाक मतपत्र सूचना में दिए गए विशेष कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 01:

बैंक के निदेशक मंडल ने, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं बैंक के संस्था अंतर्नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसरण में श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन: 03359323) को दिनांक 28 अगस्त 2023 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री अजय प्रकाश साहनी से निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को स्वीकार करने हेतु सूचना प्राप्त हुआ है. अजय प्रकाश साहनी को 28 अगस्त, 2023 (यानी अतिरिक्त निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से लगातार 4 वर्षों के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने और इस सूचना की मद सं. 1 में दिए गए संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री अजय प्रकाश साहनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियमन 16 के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और यह कि उक्त निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अजय प्रकाश साहनी बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क और साथ ही साथ वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी के सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने श्री अजय प्रकाश साहनी को 28 अगस्त 2023 से लगातार 4 (चार) वर्षों के लिए प्रारंभिक कार्यकाल हेतु स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

श्री अजय प्रकाश साहनी का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री अजय प्रकाश साहनी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, लंदन, यूके से स्नातक (बी.ई. मैकेनिकल इंजीनियर के समकक्ष), आंध्र प्रदेश कैडर के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं. उन्होंने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया है और 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए. श्री साहनी ने जून 2017 से फरवरी 2022 तक भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव के रूप में नेतृत्व किया, यूपीआई और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिथन मिशन, आधार इकोसिस्टम और डिजिलॉकर, उमंग, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (स्वास्थ्य), भाषिणी (भाषा प्रौद्योगिकियों) जैसे कई राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों के विकास को निर्देशित किया और भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के महत्वपूर्ण विकास और गतिवर्द्धन में मदद की. उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप और आत्मनिर्भर भारत ऐप्स को सक्रिय रूप से उत्प्रेरित किया, साइबर कानून और साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण विधेयक, भारतीय माइक्रो-प्रोसेसर के डिजाइन, सुपरकंप्यूटिंग और राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के शुभारंभ का पर्यवेक्षण किया.

इससे पहले, श्री साहनी ने भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया था. उन्होंने भारत सरकार के आईटी विभाग में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भी काम किया. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार में, श्री साहनी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के

administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December, 2025.

4. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the Special Business given in the Postal Ballot Notice

Item No. 1:

The Board of Directors of the Bank, based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, and pursuant to the provisions of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with the Articles of Association of the Bank, had approved the appointment of Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN: 03359323) as an Additional Director in the capacity of Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. August 28, 2023. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri Ajay Prakash Sawhney signifying his candidature for the office of Director. It is proposed to appoint Ajay Prakash Sawhney as Independent Director for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. August 28, 2023 (i.e. the date of his original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No. 1 of this Notice. It may be noted that Shri Ajay Prakash Sawhney has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI Listing Regulations and The Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management. As an Independent Director, Shri Ajay Prakash Sawhney shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Shri Ajay Prakash Sawhney as Independent Director for the initial term of 4 (four) consecutive years w.e.f. August 28, 2023.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Ajay Prakash Sawhney is provided hereinafter:

Shri Ajay Prakash Sawhney, a Graduate of Institute of Mechanical Engineers, London, UK (equivalent of B.E. Mechanical Engineer), is a 1984 batch Indian Administrative Service (IAS) officer of Andhra Pradesh cadre. He has served as Secretary to the Government of India, at the Ministry of Electronics and Information Technology and retired on February 28, 2022. As Secretary, Ministry of Electronics and IT, Government of India from June 2017 to February 2022, Shri Sawhney led the Digidhan Mission for promotion of UPI and digital payments, guided the growth of Aadhaar ecosystem and multiple national public digital platforms like Digilocker, Umang, Ayushman Bharat Digital Mission (Health), Bhashini (language technologies) and helped significant growth and acceleration of electronic manufacturing in India. He actively catalysed Indian technology start-ups and Atmanirbhar Bharat Apps, supervised cyber law and cyber security, Data Protection Bill, design of Indian micro-processors, supercomputing and the launch of the National Semiconductor Mission.

Prior to this, Shri Sawhney worked as Additional Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India. He also worked as President & CEO of the National eGovernance Division in Dept of IT,

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग(आईटीएंडसी) में सचिव, आईटीएंडसी में विशेष सचिव, आईटीएंडसी में अतिरिक्त सचिव और एपी टेक्नोलॉजी सर्विसेस लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया है. उन्होंने एपी के आईटी विजन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कई ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का नेतृत्व किया, एपी में आईटी उद्योग के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया तथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीस (IIIT), हैदराबाद के डिजाइन और स्थापना कार्य के साथ-साथ इसे एक प्रमुख प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षण संस्थान के रूप में उभरने में इसका नेतृत्व किया.

भारत सरकार तथा अपने कैडर की सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान श्री साहनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यथा ऑइल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑइल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस तथा स्मार्ट सरकार के लिए राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक के रूप में विभिन्न क्षमताओं में भी सेवा प्रदान की है. वर्तमान में, श्री साहनी भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद और दिल्ली जिमखाना क्लब के बोर्ड में शामिल हैं.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 1 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (श्री अजय प्रकाश साहनी स्वयं को छोड़कर) या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, संबंधित या रुचि रखने वाला हो, वित्तीय या अन्यथा हो, उक्त संकल्प को पारित करने में उनकी मौजूदा शेरर धारिता यदि कोई हो के अतिरिक्त, बैंक में न हो. श्री अजय प्रकाश साहनी बैंक के बोर्ड में किसी अन्य के एमपी या निदेशक से संबंधित नहीं हैं.

Govt of India. In the State Government of Andhra Pradesh, Shri Sawhney has worked as Principal Secretary to the Chief Minister of Andhra Pradesh, Principal Secretary Health, Medical & Family Welfare Dept, and Secretary Information Technology and Communications Department (IT&C), Special Secretary IT&C, Additional Secretary IT&C and as Managing Director, AP Technology Services Ltd. He played a key role in shaping the IT vision of AP, spearheaded multiple eGovernance projects, actively promoted the growth of IT industry in AP, and led the design and setting up of International Institute of Information Technology (IIIT), Hyderabad and its emergence as a premier IT research and education institute.

During his tenure in Government of India and the governments of his cadre, Shri Sawhney has also served in various capacities as Director of Public Sector enterprises, viz., Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Oil India International Limited, Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Digital India Corporation, National Internet Exchange of India, CSC E-Governance Services India Limited, Government E-marketplace and National Institute for Smart Government. Shri Sawhney is presently on the Board of Data Security Council of India and Delhi Gymkhana Club Limited.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.1 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Ajay Prakash Sawhney himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Ajay Prakash Sawhney is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank.

सूचना के लिए अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3) (क) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों-2 के अनुसार विवरण

निदेशक का नाम	श्री अजय प्रकाश साहनी
पदनाम	अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी)
जन्म तारीख / आयु	04.02.1962 61 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	28 अगस्त 2023
शैक्षणिक योग्यताएं	इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, लंदन, यूके से स्नातक (बी.ई. मैकेनिकल इंजीनियर के समकक्ष)
विशेषज्ञता	सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, मानव संसाधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन.
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	1. भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद – निदेशक; 2. दिल्ली जिमखाना क्लब, नई दिल्ली- निदेशक.
सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशकों ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो	कोई नहीं
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	कुछ नहीं
निदेशक की शेयरधारिता	कुछ नहीं
निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	कुछ नहीं
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के निबंधन और शर्तें	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों में प्रदान की गई हैं.
पारिश्रमिक	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं.
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए औचित्य और इस भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने की पद्धति जिन्हें प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक पूरा करते हैं.	एनआरसी और बैंक के निदेशक मंडल की राय है कि श्री साहनी ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी योग्यता, बोर्ड स्तर का अनुभव एवं विशेषज्ञता, सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान एवं निपटान में व्यापक ज्ञान तथा समृद्ध अनुभव बैंक के हित में है. इसके अलावा, बोर्ड का मानना है कि श्री साहनी के पास ऊपर बताए गए आवश्यक कौशल एवं क्षमताएं हैं, जैसा कि स्पष्ट है और बैंक के एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक है.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आज की तारीख तक सहभागिता की गई बोर्ड बैठकों की संख्या (आयोजित/ जिनमें सहभागिता की गई)	1/1

Annexure to the notice
Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and
Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	Shri Ajay Prakash Sawhney
Designation	Additional Director (Independent Category)
Date of Birth/ Age	04.02.1962 61 years
Date of first appointment	August 28, 2023
Qualification	Graduate of Institute of Mechanical Engineers, London, UK (Equivalent of B.E. Mechanical Engineering)
Expertise	Information Technology, Payment & Settlement , Human Resources, Administration and Corporate Governance.
Directorship in other entities	1. Data Security Council of India-Director; 2. Delhi Gymkhana Club, New Delhi- Director.
Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	None
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	Nil
Shareholding of Director	Nil
Relationship between directors inter-se	Nil
Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	Terms and conditions for appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.
Remuneration	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.
Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	<p>The NRC and Board of Directors of the Bank is of the opinion that Shri Sawhney is a person of integrity and his qualifications, Board Level experience and expertise, extensive knowledge and rich experience in Information Technology and Payment & Settlement is in the interest of the Bank.</p> <p>Further, the Board is of the view that Shri Sawhney possesses the required skills and capabilities, stated above, as identified and required for an Independent Director of the Bank</p>
Number of Board meetings attended till date of FY 2023-24 (Held/Attended)	(1/1)